

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 828/2026

Jagram S/o Lohare, Aged About 67 Years, R/o Kharera,
P.s.uchain District Bharatpur Rajasthan (At Present In Sub Jail
Bandikui).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Vinod Kumar, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

06/05/2026

एकल पीठ दांडिक निगरानी याचिका के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

इस निगरानी याचिका में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह निगरानी याचिका विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिलेख तलब किया जावे।

In Criminal Misc. (SOS) Application No. 220/2026

प्रार्थी-याची की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

याची-अभियुक्त को विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय ने नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या **360/2013** में निर्णय दिनांक **04.09.2024** के माध्यम से धारा **279, 304ए** भा.दं.सं. के अपराध में बाद विचारण दोषसिद्ध कर अधिकतम **दो** वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश, सिकराय, जिला-दौसा** द्वारा दांडिक अपील संख्या **21/2024** में

पारित निर्णय दिनांक **25.04.2026** के माध्यम से अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी व दण्डादेश की पुष्टि की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—याची का निवेदन है कि अभियुक्त वर्तमान समय में दिनांक 25.04.2026 से अभिरक्षा में है, दोषमुक्ति हेतु पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर है, किन्तु निगरानी याचिका के विचारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

जबकि विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदन का विरोध किया।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—याची द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः यह सजा स्थगन प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी—याची **जगराम पुत्र लोहरे** विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करा देवे एवं इस न्यायालय में दिनांक **06.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु, **एक लाख रूपए** का बन्ध—पत्र एवं **पचास—पचास हजार रूपए** की दो प्रतिभूतियां विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय क्रमशः दिनांकित **04.09.2024** तथा **25.04.2026** के तहत कारावास के संबंध में दिए गए **“दण्डादेश”** का क्रियान्वयन इस पुनरीक्षण याचिका के निर्णीत होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J